न्यायालय श्रीमान अपर आयुक्त महोदय सागर संभाग सागर
राजस्व मंडल ग्वालियर कैम्प

दयाराम तनय बृजभूषण यादव ,

निबासी ग्राम देवरदा तह0 वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 .....आवेदक

बिरूद्ध

रामकिशोर तनय अर्जुन प्रसाद ,

निबासी देवरदा तह0 वल्देवगढ़ जिला टीकमगढ़ म0प्र0 .....रिस्पॉडेंट

निगरानी अंतर्गत धारा 50 म0 प्र0 भू0 रा0 संहिता 1959

आवेदक की ओर से प्रार्थना है:–

1– यह कि आवेदक यह निगरानी न्यायालय श्रीमान कलेक्टर महोदय जिला टीकमगढ़ द्वारा प्र0क0 08/निग/02–03 में पारित आलोच्य आदेश दिनॉक 07/11/2002 से परिवेदित होकर कर रहा है। जो समय सीमा में नहीं है। तथा माननीय न्यायालय को निगरानी सुनवाई का क्षेत्राधिकार है।

2– यह कि प्रकरण का संक्षिप्त बिवरण इस प्रकार है कि तहसीलदार वल्देवगढ़ द्वारा अपने प्र0क0 181/अ–19/1995–96 में पारित आदेश दिनॉक 26/03/1998 के द्वारा ग्राम डुड़ियनखेड़ा में भूमि खरसा नं0 196/01 रकवा 809 , 227 , 0.246 का ब्यवस्थानपन म0प्र0 दखल रहित अधिनियम 1984 के तहत आवेदक के नाम से किया गया था। आवेदक उपरोक्त वादग्रस्त भूमि पर आपने पिता के समय से ही काबिज चला आ रहा है।

3– यह कि रिस्पॉ0 द्वारा तहसीलदार के उपरोक्त आदेश से परिवेदित होकर एक निगरानी अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की जिसमें सुनवाई करके अधिनस्थ न्यायालय द्वारा तहसीलदार द्वारा किया गया व्यवस्थापन अपने आ0दि0 07/11/2002

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश-ग्वालियर

2

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी-741-तीन/2014 जिला टीकमगढ़ दयाराम विरूद्ध रामकिशोर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
04-01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से कोई उपस्थित नहीं । आवेदक के द्वारा कलेक्टर जिला टीकमगढ के प्रकरण क्रमांक 08/निगरानी/2002-03 में पारित आदेश दिनांक 07-11-2002 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 06-02-2014 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 3. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – "1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवर्त्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथासंशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी, और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।" 4. कलेक्टर के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ख) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय आयुक्त है । अत: उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर आयुक्त सागर संभाग सागर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा । 5. अत: उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण आयुक्त सागर संभाग सागर को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 22-02-2019 को इस आदेश की	

4.1.19

सत्यप्रतिलिपि लेकर आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

6. कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख आयुक्त सागर संभाग सागर के न्यायालय में भेज जाये ।

7. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर के जैन) 4.1.19
सदस्य